(मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का उपक्रम)
आर – 24,जोन –1 एम.पी.नगर भोपाल (मध्यप्रदेश)–462003
फोन नं.– 0755–2576209
ई–मेल maharshipatanjli2014@gmail.com
वेबसाइट www.mpssbhopal.org

आ. क्र. 3865 दि. 5/12/18

"विज्ञापन"

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्यप्रदेश भोपाल प्रदेश में संस्कृत के ज्ञान की समृद्ध शाखाओं में अध्यापन, प्रशिक्षण एवं गवेषणा के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। संस्थान द्वारा निम्नानुसार रोजगारोन्मुखी एक वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम वर्ष 2019 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः–

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रकार	अवधि	निर्धारित सीट्स
1.	व्यावहारिकज्योतिर्विज्ञान (ज्योतिष)	पत्रोपाधि (डिप्लोमा)	1 वर्ष	30

02. स्थल – डिप्लोमा पाठ्यक्रम की कक्षायें शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र शिवाजी नगर रेडक्रास भवन के पास भोपाल में सायंकाल 6 से 8 बजे के मध्य संचालित होंगी।

03. पात्रता – भारत का आम नागरिक यह पत्रोपाधि पाठ्यक्रम कर सकेगा। इसमें अधिकतम उम्र का कोई भी बंधन नही रखा गया है।

04. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता – माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा की परीक्षा /पूर्वमध्यमा/पुरानी प्रणाली की कक्षा 11वीं की हायरसेकेण्ड्री बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्य प्रदेश से पूर्वमध्यमा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 5 –5 स्थान सुरक्षित रखे जाएगें।

05. पाठ्यक्रम – महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान की विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम लागू होगा।

06. शुल्क – डिप्लोमा पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषी आधार पर संचालित होगा। जिसमें शुल्क का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश शुल्क	पुस्तकालय शुल्क	प्रायोगिक शुल्क	शिक्षण शुल्क	कुल शुल्क
01.	व्यावहारिक ज्योतिर्विज्ञान	1000/–	2000/–	5000/–	12000/–	20000/–

07. आवेदन करने की प्रक्रिया – डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु इच्छुक अभ्यर्थी एम.पी.ऑनलॉइन के कियोस्क माध्यम से रू. 500/– आवेदन शुल्क भरकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेगें। निर्धारित आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को आवेदन में वर्णित अपनी सभी परीक्षाओं की अंकसूची, कलर फोटो, हस्ताक्षर स्केन कर संलग्न करना आवश्यक होगा। अपूर्ण आवेदन अथवा वांछित अभिलेख संलग्न नहीं करने पर आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा। **आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2019 है।**

08. ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया — एम.पी.ऑनलाइन पर सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाइन जनरेट की हुई पावती के साथ दिनांक 01 फरवरी से 15 फरवरी तक अपनी हाईस्कूल (10वीं)/पुराने बोर्ड प्रणाली से कक्षा 11वीं/पूर्वमध्यमा अंतिमखण्ड, स्नातक तथा स्नातकोतर की मूल अंकसूची के साथ सत्यापन सेंटर **शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र शिवाजी नगर (रेडक्रास भवन भोपाल के पास प्रातः 10.30 से सायं 5 बजे तक)** में पहुँचकर अपनी अंकसूचियों के सत्यापन का प्रमाणीकरण प्राप्त कर पावती प्राप्त कर लेंगे। सत्यापन प्रक्रिया में अनुपस्थित अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नही होंगे।

09. प्रवेशनीति — प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट हेतु अधिभार की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी:—

क्र.	शैक्षणिक योग्यता	मेरिट हेतु अधिभार
01	हाई स्कूल कक्षा 10वीं/पुराने प्रणाली से हायरसेकेण्ड्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 11वीं/पूर्वमध्यमा अंतिम खण्ड	50%
02	किसी भी विषय में स्नातक	25%
03	किसी भी विषय में स्नातकोत्तर	25%

उपरोक्त अधिभार दिया जाकर प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पृथक — पृथक मेरिट सूची बनायी जावेगी।

10. प्रवेश प्रक्रिया — ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रियां के आधार पर मेरिट सूची जारी की जाकर चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु सूचना की जावेगी। मेरिट सूची एम.पी.ऑनलाइन की बेवसाइट www.mponline.gov.in पर भी उपलब्ध होगी। जिसके आधार पर संबंधित अभ्यर्थी शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र शिवाजी नगर, (रेडक्रास भवन के पास भोपाल) पहुँचकर संबंधित डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश के समय ही निर्धारित शुल्क एक साथ जमा करना आवश्यक होगा। प्रवेश की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2019 रहेगी। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने एवं निर्धारित शुल्क जमा न करने की स्थिति में प्रतिक्षा सूची अनुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन सत्यापन के लिये आमंत्रित किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी को पात्र होने पर प्रवेश दिया जावेगा।

11. अन्य सूचनायें — प्रवेशित अभ्यर्थियों को भोपाल में आवास, भोजन एवं अन्य व्यवस्थायें स्वयं ही करना होगी। नियमों/प्रक्रियायों के उपरान्त मध्यप्रदेश महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु किसी उपबंध/नियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस प्रकार किया गया कोई भी उपातरंण आबद्धकर होगा।

निदेशक
महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान